राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2924/2025

मोहम्मद रफिक —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. राज्य आयुक्त, दिव्यागंजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारीता विभाग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.05.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 23.05.2025 को अपील में चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बंधरा (211378), ब्लॉक पांचू, बीकानेर में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रारंभ में वरिष्ठ अध्यापक (अध्यापक ग्रेड–II उप उर्दू) के पद पर 09.09.2000 को नियुक्त किया गया था और उसके बाद, वह विभिन्न स्थानों पर रहा और समय–समय पर पदोन्नति भी प्राप्त की और अंत में उसे मई 2023 में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद उसे शैक्षणिक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया। राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 28.02.2025 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर में पदमुक्त कर दिया गया था तथा लगभग 03 महीने की अवधि के पश्चात उन्हें 23.05.2025 के आदेश के माध्यम से पदस्थापना दी गई है, जो कि आलौच्य आदेश है। राज्य सरकार

द्वारा जारी नवीनतम नीति के अनुसार दिनांक 19.03.2025 की अधिसूचना अर्थात दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति 2025 और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति निदेशालय में दिनांक 26.11.2021 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी एक विकलांग व्यक्ति है। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में शैक्षणिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जहां अपीलार्थी ने दिनांक 03.10. 2023 के आदेश के अनुसार 05.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी राजस्थान मदरसा बोर्ड में पदस्थापित था, तब निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा अपीलार्थी निदेशालय में पदस्थापित करने का आदेश जारी किया गया था तथा इस पत्र में दिव्यांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 का संदर्भ भी दिया गया था। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी 28.02.2025 तक वहां कार्यरत रहा तथा दिनांक 28.02.2025 के आदेश के तहत अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड से शैक्षणिक अधिकारी के पद से हटाकर मूल प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके लिए उसे निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया। (अनुलग्नक–6) दिनांक 28.02.2025 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने 03.03.2025 को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान में कार्यभार ग्रहण किया तथा इस अवधि के दौरान पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में पदस्थ रहा। लगभग 03 महीने की अवधि के बाद अपीलार्थी को दिनांक 23.05.2025 के आदेश के माध्यम से पदस्थापन किया है, हालाँकि, इससे पहले अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग यानी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि वह दिव्यांग हैं और उन्हें अपने गृह नगर तथा अपने जिले झुंझुनू के निकटवर्ती स्थान पर नियुक्ति का अधिकार है। (अनुलग्नक–7) यह अभ्यावेदन दिनांक 23.05.2025 के आदेश जारी होने से पहले ही प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 23.05.2025 को दिए गए आदेश को पारित करते समय प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस तरह के किसी भी विचार को ध्यान में नहीं रखा गया है और उन्हें जिला बीकानेर में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया है जो कि जिला झुंझुनू से काफी दूर है और जिला झुंझुनू में प्रिंसिपल के 63 पद भी रिक्त हैं। (अनुलग्नक–8) अपीलार्थी को वर्ष 2021–2022 की डी.पी.सी. के अंतर्गत प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत किया गया है और उसका नाम मद संख्या 142 पर उल्लिखित है। इससे पहले भी अपीलार्थी ने राज्य आयुक्त विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के समक्ष आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने विकलांगता के आधार पर पदोन्नति और विकलांगता के आधार पर पदस्थापन की मांग की थी, जिसमें माननीय राज्य आयुक्त विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों ने एक आदेश पारित किया था कि उन्हें विकलांगता के आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए और साथ ही उन्हें गृह जिले में पोस्टिंग दी जानी चाहिए।

(अनुलग्नक–11) राज्य शिक्षा विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी को भी एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर और प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग को भी एक आवेदन दिया गया था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 23.05.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को गृह जिला झुंझुनू के झुंझुनू ब्लॉक में अपीलार्थी की नियुक्ति पर विचार किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 23.05.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बंधरा, ब्लॉक पांच, बीकानेर में किया गया। अपीलार्थी 60 दिव्यागंता से ग्रस्त है। अपीलार्थी की दिव्यागंता की स्थिति के दृष्टिगत एवं दिव्यागंता के संबंध में विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों / परिपत्रों / नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य